

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(G-1, किसान भवन, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांक: पैरामेडि.कौ / 2016 / 3577

दिनांक :- 17/11/16

सार्वजनिक सूचना

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर में पूर्व में पंजीयन हेतु जिन अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है एवं पंजीकृत पैरामेडिकोज को सूचित किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 11460/2015 में दिये गये निर्णय दिनांक 19.09.2016 के क्रम में निम्नलिखित विश्वविद्यालय के द्वारा दिये गये डिप्लोमा को अमान्य माना गया है। जिसके क्रम में आप जो भी विधिसम्मत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे इस कौंसिल में 7 दिवस में प्रस्तुत करें अन्यथा आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं पूर्व में पंजीकृत पैरामेडिकोज का पंजीयन निरस्त कर दिया जावेगा।

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का नाम
1	निम्स विश्वविद्यालय, जयपुर
2	मानव भारती विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश
3	टैक्नीकल विश्वविद्यालय पंजाब
4	जीवाजी विश्वविद्यालय

3577
17/11/16

रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव माननीय प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (गुप-3) शासन सचिवालय, जयपुर
4. अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल जयपुर
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जयपुर
6. रजिस्ट्रार संबंधित विश्वविद्यालय-----
7. सर्वर रूम/ नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

रजिस्ट्रार